

फर्द अहकाम

(नियम 26)

..... मुकाम

..... बनाम

..... नं. वर्ष

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>18-3-20 पी.ओ. साहब अहकाम / स्थानान्तरण / भरण पर होने से दिनांक 6-5-20 को पेश हो ✓ Raj</p>	
<p>06/05 पी.ओ. साहब अहकाम / स्थानान्तरण / भरण पर होने से दिनांक 08-07-20 को पेश हो Raj</p>	
<p>09/09 पी.ओ. साहब अहकाम / स्थानान्तरण / भरण पर होने से दिनांक 09.09.20 को पेश हो Raj</p>	
<p>09/11 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्राची उपस्थित। पत्रावली बामने अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक- 04.11.2020 को पेश हो। ↓</p>	
<p>04/11 पी.ओ. साहब अहकाम / स्थानान्तरण / भरण पर होने से दिनांक 09/12/20 को पेश हो Raj-मुय</p>	
<p>09/12 पी.ओ. साहब अहकाम / स्थानान्तरण / भरण पर होने से दिनांक 17.02.21 को पेश हो Raj</p>	
<p>02/21 पत्रावली पेश हुई। बकील प्राची उपस्थित। अग्रिम के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। बकील प्राची ने बहस का निवेदन किया। बकील प्राची की एक तरफा बहस सुनी गई। बकील प्राची ने देखने बहस रुकान किया कि मूगि अगली खान: 453/2 रुकवा 00-15 बकील</p>	

बाके ग्राम डारडातुर्की, पठार हज्जा डारडातुर्की तह पीपलू
 जिला रोड (मल) में स्थित है। उक्त बंक्ति आराजीघात
 प्राधीगण व प्रतिपहीगण की संयुक्त खातेदारी व कच्चे कागज
 की आराजीघात हैं। जिस पर प्राधीगण व प्रतिपहीगण संयुक्त
 रूप से काबिल होकर अपने-2 एक व हिस्से की आराजी
 की उपयोग उपयोग एवं कागज कर रहे हैं, किन्तु अप्राधीगण
 बिना विधिगत तकसमा के भूमि की खुर्द-बुर्द, रहन, दान,
 बेचान करने पर आमादा हैं एवं प्राधीगण के एक व हिस्से
 की आराजी की उपयोग उपयोग करने में मजामदर व मजामदर
 कर रहे। जिसका प्रतिपहीगण को कोई बेधाम्ति अधिकार नहीं
 है। अतः प्रतिपहीगण को जरिमे अस्वाधी निषेधाज्ञा से
 ताफेसला बाद पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायकत है।
 अतः न्यायालय हज्जा दूय दिनांक 30.01.2019 को जारी
 अस्वाधी निषेधाज्ञा ताफेसला बाद कन्फर्म करे एवं प्रतिपहीगण,
 प्राधीगण के एक व हिस्से की आराजी एवं कच्चे मजामदर
 नहीं करने पाबन्द करे एवं बिना पाबन्द करे कि बिना विधिक
 भूमियों को किसी अन्य के एक में रहन, दान, बेचान नहीं करे।

प्रतिपहीगण बाबप्रद सूचना अनुपस्थित रहने के कारण
 उनके विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लई जा चुकी है। अतः
 न्यायालय हज्जा दूय दिनांक 30.01.2019 को जारी अस्वाधी निषेधा
 जारी करने के प्राधीगण अधिकारी हैं। इसलिये न्यायालय हज्जा
 दूय दिनांक 30.01.2019 को जारी अस्वाधी निषेधाज्ञा ताफेसला
 बाद कन्फर्म किया जाता है। पत्रावली निर्मित शुमार होकर नम्बर
 में कम हो एवं मूल वाद के साथ संलग्न रहे।

उप खण्ड अधिकारी
 पीपलू (ॉक)